# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :—अनिल कुमार आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या – 229/2024
बनाम

| प्रार्थीगण | | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. अचलाराम धोला पुत्र नाथाराम<br>2. जमनादेवी पत्नि नाथाराम<br>3. मल्लाराम धोला पुत्र नाथाराम<br>4. रामाराम पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी सेतराउ तहसील रामसर। | बनाम | 1. तहसीलदार रामसर।<br>2. उतमाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी सेतराउ तहसील रामसर। |

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती

## आदेश

दिनांक 09.01.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा खारिया कला तहसील रामसर के खसरा संख्या 329/291 रकबा 3.8121 हेक्टयर भूमि प्रार्थी की आई हुई थी मूल रूप से उक्त खसरा संख्या 291 रकबा 70 बीघा 13 बिस्वा मे से 23 बीघा 11 स्वा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज नाथा पुत्र मुका द्वारा श्री इन्द्रसिहं वगेराह से बजाब्ता रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 06.06.1975 को खरीद की गयी तथा उक्त बेचान अनुसार ही कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रार्थीगण के पूर्वज नाथा के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त खेत में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसकी तरमीम ऑनलाइन करते समय गलत हो गयी। जिसे दुरस्त हेतु संलग्न परिशिष्ट ' अ अनुसार तरमीम दुरस्त करने हेतु यह आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 27.12.2024 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली का अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विसंगति तहसील ऑनलाइन करते समय हुई है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खारिया कल्ला तहसील रामसर के खसरा संख्या खसरा संख्या 329/291 तथा 330/291 मे संलग्न परिशिष्ट ब अनुसार तरमीम दुरस्ती करने के आदेश प्रदान किये जाते है तहसीलदार रामसर तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेषित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

क्रमांक : रीडर/2024/ 106-08

दिनांक 9/1/2025

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार रामसर ।
2. प्रार्थी अचलाराम धोला पुत्र नाथाराम वगेराह।
3. विप्रार्थीगण उतमाराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी सेतराउ तहसील रामसर।

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.01.28 12:45:10 IST
Reason: SelfAttested